कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश,भोपाल

क्रमांक/प्रमुवस/435 भोपाल, दिनांक 13–4–2000

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

विषय :– **निस्तार एवं विक्रय काष्ठागार की सुरक्षा हेतु व्यवस्था।**

—0—

दिनांक 31–12–1988 के बाद कार्यरत श्रमिकों को शासन आदेशानुसार प्रथक किया जा चुका है तथा वन संरक्षकों द्वारा विक्रय डिपो व निस्तार डिपो की सुरक्षा हेतु व्यवस्था के संबंध में इस संबंध में ज्ञापन लिखा है तथा कुछ वन संरक्षकों से सुझाव भी प्राप्त हुये है। समस्त बिन्दुओं पर विचारोपरान्त यह निर्देशित किया जाता है कि :–

1. दिनांक 31–12–1988 के पूर्व के अवशेष श्रमिकों जिन्हें नियमित नहीं किया गया है विक्रय डिपो/निस्तार डिपो की सुरक्षा हेतु लगाया जाये। प्राथमिकता विक्रय डिपो हेतु दी जाए। उसके उपरान्त भी यदि ऐसे श्रमिक बचते है तो उन्हें निस्तार डिपो में सुरक्षा हेतु लगाया जाए।
2. दिनांक 31–12–1988 के पूर्व के श्रमिक नहीं हैं अथवा कम है तो ऐसी स्थिति में निस्तार काष्ठागारों की सुरक्षा का भार ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति अथवा पंचायत को दी जाए। इस सुरक्षा कार्य हेतु डिपो में रखी गई वनोपज के आधार पर वन संरक्षक एक मुश्त देय राशि तय करेगें। निस्तार डिपो प्रायः 30 जून के बाद बन्द हो जाते है। अतः वनोपज की मात्रा व अवधि को ध्यान में रखते हुये देय सुरक्षा के व्यय का निर्धारण किया जाए।
3. प्रदेश में इमारती काष्ठ तथा बांस व जलाऊ लकड़ी के डिपो है। सामान्यतः जलाऊ व इमारती लकड़ी एक ही डिपो में रखी जाती है। कुछ स्थलों पर बांस भी इसी डिपो में रखे जाते है। उनकी सुरक्षा का कार्य जैसे ऊपर कंडिका में दर्शाया गया है, की जाए। यदि दिनांक 31–12–1988 के पूर्व के श्रमिक उपलब्ध नहीं है तो ऐसे डिपो जिनमें 5000 घनमीटर से कम काष्ठ की वार्षिक आमद होती है, 8 श्रमिक अधिक से अधिक संविदा पर रखे जा सकते हैं तथा ऐसे डिपो में 5000 घनमीटर से अधिक वनोपज की आमद होती है वहाँ अधिक से अधिक 15 श्रमिको को सुरक्षा हेतु रखा जा सकता है। 5000 घनमीटर से कम डिपो में 6 श्रमिक रात्रि कालीन सुरक्षा हेतु व 2 श्रमिक गेट पर चौकीदारी हेतु व 5000 घनमीटर से अधिक काष्ठ वाले डिपो में 12 श्रमिक रात्रिकालीन सुरक्षा हेतु व 3 श्रमिक गेट सुरक्षा हेतु रखे जाना उचित होगा। डिपों में घनमीटर की गणना करने के लिये 3 जलाऊ चट्टा बराबर एक घनमीटर तथा एक नोशनल टन बराबर एक घनमीटर माना जाए। वन संरक्षकों को भी ध्यान रखना होगा कि किस समय जैसे वर्षा ऋतु में वनोपज कम रहती है उस अवधि में सुरक्षा श्रमिकों की संख्या कम की जाए।
4. सुरक्षा हेतु रखे जाने वाले श्रमिकों को दैनिक वेतन पर भुगतान नहीं होगा। वन संरक्षक संविदा पर ऐसे श्रमिकों को निश्चित राशि का निर्धारण कर रखेंगें।

5. दर निर्धारण करने हेतु यह उचित होगा कि वन संरक्षक उनकी अध्यक्षता में वनमंडलाधिकारी की एक समिति का गठन करें, जो प्रत्येक डिपो में श्रमिकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक को एवं डिपो में सुरक्षा श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करेगी व संबंधित वन संरक्षक से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त कर श्रमिकों को सुरक्षा व्यवस्था हेतु रखा जाऐगा।
6. कृपया उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर की गई व्यवस्था के संबंध में एक टीप इस कार्यालय को दिनांक 15–4–2000 के पूर्व अवश्य भेजें।
7. यह भी ध्यान रखा जाये कि दिनांक 31–12–1988 के बाद के जो श्रमिक निकाले गये हैं एवं उन श्रमिकों में से जिनका पिछला कार्य संतोषप्रद रहा हो, को निविदा पर लगाये जाने में प्राथमिकता दी जावे।

हस्ता.
(आर.डी.शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल